तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / एल0आर0 / 2704 / 2018 / दौसा** **जगदीश बनाम सुन्दर**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

श्री रामनिवास जाट, सदस्य

उपस्थितः–

श्री घनश्याम चारण, अधिवक्ता प्रार्थी ।

श्री धर्मेन्द्र टांक, अधिवक्ता अप्रार्थी ।

निर्णय

दिनांकः–31.05.2022

प्रार्थी ने यह निगरानी अंतर्गत धारा 84 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विद्वान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर द्वारा अपील संख्या 39/2017 बउनवानी विमला बनाम जगदीश में पारित निर्णय दिनांक 28.02.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

निगरानी के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खसरा नंबर 642 रकबा 32 बीघा 17 बिस्वा भूमि वाके ग्राम रामगढ़ पचवारा, पटवार हल्का रामगढ़ पचवारा, तहसील रामगढ़ जिला दौसा में स्थित है । उक्त आराजियात खसरा नंबरान की भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की शामलाती कृषि भूमियां थी जिस पर निगरानीकर्ता व उसके भाई–बंध काबिज काश्त है । उक्त खसरा नंबरान की कृषि भूमियों में रेस्पो0 संख्या 1 के पिता मोडिया 1/12 हिस्से पर काबिज काश्त थे । उनके कोई पुत्र संतान नहीं थी इस कारण निगरानीकर्ता ने ही मोड्या की दोनों पुत्रियों का विवाह आदि किया तथा मोड्या की सेवा की जिससे प्रसन्न होकर मोड्या ने निगरानीकर्ता के पक्ष में अपने हिस्से की चल–अचल सम्पति की दिनांक 26.03.1985 को एक वसीयत रूबरू गवाहान निष्पादित कर दी । दिनांक 24.5.1985 को मोड्या की मृत्यु हो गई । उसकी मृत्यु उपरांत मोड्या के विरासत की संपूर्ण आराजियात पर निगरानीकर्ता काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है । मोड्या की मृत्यं के पश्चात् रेस्पो0 संख्या 1 ने गलती तरीके से अपने नाम नामांतकरण तस्दीक करवा लिया जिसको निगरानीकर्ता ने चुनौती दे रखी है जो

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / एल0आर0 / 2704 / 2018 / दौसा** **जगदीश बनाम सुन्दर**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	राजस्व मण्डल में विचाराधीन है । मान0 मण्डल ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.04.2006 की अग्रिम कार्यवाही स्थगित कर रखी है । उद्घोषणा व इंद्राज दुरूस्ती का दावा न्यायालय के समक्ष विचाराधीन रहते हुए गलत तरीके से मोडया की पुत्री यानि रेस्पो0 संख्या 1 ने अपने नाम गलत तरीके से दर्ज हुई विरासत के आधार पर खसरा नंबर 642 में अपने हिस्से को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान कर दिया जिसके आधार पर नामांतकरण संख्या 1027 दिनांक 6.7.2007 को पारित किया गया । उक्त नामांतकरण आदेश के विरूद्ध निगरानीकर्ता ने प्रथम अपील न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, दौसा के न्यायालय में पेश की । जिसे विद्वान अति0 जिला कलक्टर, दौसा ने आदेश दिनांक 25.7.2017 द्वारा अपील स्वीकार कर नामांतकरण संख्या 1027 को निरस्त कर दिया । उक्त आदेश दिनांक 25.7.2017 के विरूद्ध अपील विद्वान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर के समक्ष पेश अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पेश की गई जिसे विद्वान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर ने निर्णय दिनांक 28.2.2018 द्वारा अपील स्वीकार कर विद्वान अति0 जिला कलेक्टर, दौसा का निर्णय निरस्त कर दिया । विद्वान न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर के आदेश दिनांक 28.02.2018 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष पेश की है । उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में कथन किया कि तहसीलदार लालसोट ने निगरानीगर्ता की बगैर सुनवाई के ही आलौच्य आदेश पारित कर दिया जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय द्वारा निरस्त कर दिया लेकिन विद्वान अति0 संभागीय आयुक्त, जयुपर ने उक्त तथ्य पर गौर न करते हुए आलौच्य आदेश पारित करने में कानूनी त्रुटि कारित की है । निगरानीकर्ता ने एक दावा बाबत् उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर रखा है जो विचाराधीन है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने दावा विचाराधीन रहते हुए गलत तरीके से रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष में हुए नामांतकरण जिसको भी निगरानीकर्ता ने चुनौती दे रखी है एवं राजस्व मण्डल में विचाराधीन है तथा नामांतकरण संख्या 434 पर रोक के बावजूद गलत तरीके से तहसीलदार द्वारा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / एल0आर0 / 2704 / 2018 / दौसा** **जगदीश बनाम सुन्दर**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नामांतकरण तस्दीक किए जाकर बावजूद स्थगन एवं दावा दायरी के दौरान उक्त भूमि का गलत तरीके से बैचान कर दिया गया जो प्रारंभ से शून्य है । उक्त अवैध रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामांतकरण की कार्यवाही स्थगन के दौरान की गई है जिसे अति0 जिला कलक्टर, दौसा ने विधिसम्मत् रूप से निरस्त किया था । श्रीमती विमला के पक्ष में दिनांक 19.5.2007 को विक्रय पत्र गलत तरीके से तस्दीक कराया गया है जो अवैध होने के कारण प्रारंभ से शून्य है । नामांतकरण एक फिस्कल प्रोसिडिंग है, इससे पक्षकारों के कोई हक एवं अधिकार तय नहीं होते है । अधिकार तय कराने के लिए निगरानीकर्ता ने दावा प्रस्तुत करखा है, लेकिन बिना अधिकार तय हुए ही रेस्पो0 संख्या 3 ने आलौच्य आदेश पारित कर दिया जो निरस्त किए जाने योग्य होने से प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उक्त नामांतकरण आदेश को निरस्त किया लेकिन द्वितीय अपीलीय न्यायालय ने अति0 जिला कलेक्टर, दौसा के आदेश को गलत मानकर निरस्त करने में त्रुटि कारित की है । बहस में आगे कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 ने बाले-बाले अपने नाम मोड्या की विरासत तय करवाकर दावा दायरी के दौरान रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से अपने हिस्से में खसरा नंबर 642 की कृषि भूमि का बेचान दिनांक 19.5.2007 को कर दिया जिसका नामांतकरण खोलने के लिए प्रार्थना पत्र दिनांक 21.5.2007 को पेश किया जबकि विक्रय पत्र के आधार पर 45 दिवस तक नामांतकरण तस्दीक करने का अधिकार संबंधित ग्राम पंचायत को होता है । लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकारिता के बाहर जाकर विवादित नामांतकरण को स्वीकृत कर कानूनी भूल की है । मृतक मोड्या ने अपने जीवनकाल में अपनी चल व अचल सम्पति की वसीयत निगरानीकर्ता के पक्ष में निष्पादित कर दी थी जिसके आधार पर निगरानीकर्ता उक्त आराजियात पर बतौर स्वामी काबिज काश्त है । उक्त वसीयत के आधार पर निगरानीकर्ता ने सिविल न्यायाधीश महोदय, लालसोट जिला दौसा के समक्ष एक वाद उद्घोषणा का प्रस्तुत कर रखा है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विधिसम्मत् रूप से नामांतकरण निरस्त किया था जिसे द्वितीय अपीलीय न्यायालय ने उपरोक्त समस्त तथ्यों को नजरअंदाज कर अपील स्वीकार कर प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय को निरस्त करने में त्रुटि कारित की है । अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर विद्वान	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / एल0आर0 / 2704 / 2018 / दौसा** **जगदीश बनाम सुन्दर**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.2.2018 निरस्त किया जावे । विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस में कथन किया कि विवादित भूमि का खातेदार मोड्या था जिसके फौत होने पर मोड्या की विरासत का नामांतकरण संख्या 434 दिनांक 2.6.1990 मोड्या की पुत्रियों सुन्दर व प्यारी के नाम तस्दीक किया गया जो माननीय राजस्व मण्डल तक यथावत् रहा । उक्त नामांतकरण संख्या 434 के आधार पर मोड्या की आराजियात की पुत्रियां सुन्दर व प्यारी के नाम खातेदारी दर्ज की गई । माननीय मण्डल ने अपने निर्णय दिनांक 29.9.2015 में मोड्या की सम्पति में जगदीश का किसी भी प्रकार का कोई हक, अधिकार व उत्तराधिकार होना नहीं माना है । विक्रेता सुन्दर व प्यारी को दिनांक 19.5.2007 को या उसके पश्चात् विवादित भूमि का विक्रय एवं हस्तातंरण नहीं करने हेतु कभी भी पाबंद नहीं किया गया था तथा प्रश्नगत नामांतकरण तस्दीक की दिनांक को किसी भी प्रकार का कोई स्थगन आदेश प्रचलन में नहीं था । प्रथम अपीलीय न्यायालय ने प्रार्थी की अपील स्वीकार कर प्रश्नगत नामांतकरण को निरस्त करने में विधिक त्रुटि कारित की है जिसे विद्वान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर ने विधिसम्मत् रूप से खारिज किया है । बहस में आगे कथन किया कि मोड्या के पुत्र संतान नहीं होने से उसकी पुत्रियों को उसकी खातेदारी भूमि में प्राप्त होने वाले हक व अधिकारों से उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता है । प्रथम अपीलीय न्यायालय ने हिन्दु उत्तराधिकार अधि0 की धारा 2 (2) के अंतर्गत अपील खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है । प्रार्थी जगदीश द्वारा वसीयत के आधार पर अधिघोषणा का वाद न्यायालय सिविल न्यायाधीश, लालसोट के न्यायालय में पेश किया था जो दिनांक 26.5.2017 को अवधि बाधित होने से खारिज हो चुका है, जिसके खिलाफ प्रार्थी जगदीश की अपील न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, लालसोट ने निर्णय दिनांक 9.6.2017 द्वारा की जाकर प्रकरण मियाद के बिन्दू से संबंधित विधि एवं तथ्यों के मिश्रित बिन्दू पर विवाद्यक बनाकर ही प्रकरण का निस्तारण करने हेतु पुनः प्रतिप्रेषित किया है जो विचाराधीन है । उक्त वाद में ही वसीयत के आधार पर प्रार्थी जगदीश के अधिकार तय होगें तब प्रार्थी को मोड्या की आराजियात में किसी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / एल0आर0 / 2704 / 2018 / दौसा** **जगदीश बनाम सुन्दर**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रकार के हक व अधिकार प्राप्त नही हो सकते है। विद्वान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर ने विधिसम्मत् रूप से अपील स्वीकार की है । अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जावे । हमनें विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । विद्वान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 28.02.2018 में यह अंकित किया है किः– '' पक्षकारों के अधिकारों की घोषणा संबंधी अपील में राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय के दृष्टिगत मृतक खातेदार मोड्या की विरासत के नामांतकरण संख्या 434 दिनांक 2.6.1990 से संबंधित अति0 संभागीय आयुक्त, जयपुर के निर्णय दिनांक 19.11.2007 के खिलाफ रेस्पोडेंट जगदीश की अपील न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा निर्णय दिनांक 6.1.2016 से पक्षकारों के मध्य नियमित वाद का निस्तारण माननीय न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा अपने निर्णय/डिक्री दिनांक 29.9.2015 से कर दिये जाने पर नामांतकरण से संबंधित उक्त अपील सारहीन होने से खारिज की गई है । इस प्रकर मृतक खातेदार मोड्या की विरासत का नामांतकरण संख्या 434 दिनांक 2.6.1990 जो उसकी पुत्रियों सुन्दर व प्यारी के नाम तस्दीक किया गया था, बहाल रहख है । रेस्पो0 जगदीश के प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर न्यायालय सिविल न्यायाधीश, लालसोट जिला दौसा ने निर्णय दिनांक 23.9.2016 पारित कर वाद के निस्तारण तक मोड्या की विवादस्थल चल अचल सम्पति की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखी थी जिसके खिलाफ अपीलांट सुन्दर की अपील न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, लालसोट, जिला दौसा ने निर्णय दिनांक 3.6.2017 द्वारा स्वीकार की जाकर योग्य अधीनस्थ न्यायालय सिविल न्यायाधीश, लालसोट द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 23.9.2016 अपास्त किया गया है । दूसरी ओर रेस्पो0 जगदीश द्वारा वसीयत के आधार पर अधिघोषणा का वाद न्यायालयय सिविल न्यायाधीश, लालसोट ने निर्णय दिनांक 26.5.2017 द्वारा मियाद अवधि बाधित होने के कारण खारिज किया है, जिसके खिलाफ रेस्पो0 जगदीश की अपील न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, लालसोट के निर्णय दिनांक 9.6.2017 द्वारा स्वीकार की जाकर न्यायालय सिविल न्यायाधीश, लालसोट के	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / एल0आर0 / 2704 / 2018 / दौसा** **जगदीश बनाम सुन्दर**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निर्णय व डिक्री दिनांक 26.5.2017 अपास्त किया जाकर प्रकरण मियाद के बिन्दू से संबंधित विधि एवं तथ्यों के मिश्रित बिन्दू पर विवाधक बनाकर ही प्रकरण का निस्तारण करने हु पुनः प्रतिप्रेषित किया गया है । इस प्रकार वसीयत के आधार पर अधिघोषणा का वाद न्यायालय सिविल न्यायाधीश, लालसोट के समक्ष विचाराधीन है ।'' इस प्रकार इस प्रकरण में उपरोक्त समस्त तथ्यात्मक व विधिक स्थिति से यह स्पष्ट है कि यह निगरानी प्रकरण मूलतः मूल नामांतकरण संख्या 434 के संबंध में विचाराधीन रहा है । यहां यह भी स्वीकृत तथ्य है कि इन उक्त वादग्रस्त भूमियों से संबंधित जिन रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों को विवादित बताया गया है उन्हें आज तक किसी भी सक्षम सिविल न्यायालय में चुनौती देकर निरस्त करवाने का साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है । जिसके आधार पर उक्त पारित विक्रय पत्रों को शून्य घोषित किया जा सके । उक्त नामांतकरण के संबंध में अत्यधिक विलंब से मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की गई थी । नामांतकरण की कार्यवाही के अंतर्गत किसी भी पक्षकार के हक व अधिकारों का गुणावगुण पर अंतिम निर्धारण नहीं होता है । नामांतकरण की कार्यवाही केवल वित्तीय कार्यवाही है जो लगान निर्धारण से संबंध रखती है । इस प्रकार की लगान निर्धारण की वित्तीय कार्यवाही से इस प्रकरण में पक्षकारों को समुचित साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्राप्त नहीं होता है और ना ही उनके हक व अधिकारों के संबंध में संपूर्ण विधिक परीक्षण किया जाकर गुणावगुण पर अंतिम निर्धारण भी नहीं होता है । किसी भी विवादित प्रकरण का गुणावगुण पर परीक्षण ओर अंतिम निर्णय नियमित वाद के अंतर्गत ही किया जा सकता है । पक्षकारों के मध्य नियमित राजस्व वाद विचाराधीन रहा है जिसमें मान0 राजस्व मण्डल स्तर से भी प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय किये गये है और उसके संबंध में अभी एक रिव्यू विचाराधीन है, जिसके निर्णय की प्रति पत्रावली पर आदिनांक तक प्रस्तुत नहीं हुई है । वादग्रस्त भूमियों के संबंध में रेस्पोडेंटस जगदीश का वसीयत के आधार पर अधिकारों के संबंध में सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन चल रहा है जहां से उक्त विधिक अधिकारों का अंतिम निर्धारण होकर निर्णय होना शेष है । अतः उक्त समस्त तथ्यात्मक विधिक स्थिति के आधार पर अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर का निर्णय दिनांक	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / एल0आर0 / 2704 / 2018 / दौसा** **जगदीश बनाम सुन्दर**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	28.02.2008 में हम किसी प्रकार की त्रुटि व अनियमितता नहीं पाते है जिसके आधार पर उसमें कोई हस्तक्षेप किया जा सके । अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है और अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.02.2008 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली बाद इन्द्राज दाखिल दफतर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(रामनिवास जाट)** **सदस्य**	